

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 397]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 2 सितम्बर 2014—भाद्र 11, शक 1936

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2014

क्र. एफ 12-32-2013-4-पच्चीस-2.—हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, स्थानीय प्राधिकारियों और जिला दण्डाधिकारी को ऐसी शक्तियां प्रदान करती है और उन पर ऐसे कर्तव्य अधिरोपित करती है जो इस अधिनियम के उपबंधों का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हो.

No. F-12-32-2013-4-XXV-2.—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (No. 25 of 2013), the State Government, hereby, confer such powers and impose such duties on local authority and District Magistrate as may be necessary to ensure that the provisions of this Act are property carried out.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.